



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276214
CG-DL-E-15092026-276214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4830]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4830]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

विद्युत मंत्रालय

संशोधित आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5020(अ).— जबकि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-11092024-257066 (S.O. 3875(E)) दिनांक 10 सितंबर 2024 के माध्यम से, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत, आवेदक मेसर्स हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड (जिसका पंजीकृत कार्यालय C-105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली – 110021 पर स्थित है) को पारेषण योजना, "चरण III भाग A के तहत खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क से अतिरिक्त 7 GW नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु पारेषण प्रणाली" के लिए प्राधिकरण प्रदान किया था। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड पारेषण लाइनें शामिल हैं:

i. KPS2 (GIS) – हलवद 765 kV D/C लाइन

ii. हलवद में लकाडिया – अहमदाबाद 765 kV D/C लाइन का LILO

जबकि मेसर्स हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड ने उपरोक्त पारेषण योजना के लिए पूर्व में जारी सार्वजनिक सूचनाओं के संबंध में एक शुद्धिपत्र स्थानीय समाचार पत्रों, इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 22 नवंबर 2025, राजस्थान पत्रिका (हिंदी में) दिनांक 22 नवंबर 2025, कच्छ मित्र (गुजराती में) दिनांक 22 नवंबर 2025 और संदेश (गुजराती में) दिनांक 22 नवंबर 2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 27 दिसंबर 2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के

भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। तत्पश्चात, मेसर्स हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड ने दिनांक 31.03.2026 का एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में शुद्धिपत्र के प्रकाशन की तिथि से दो माह के भीतर जनता से कुल 60 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे; जिनका उत्तर मेसर्स हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा दे दिया गया है, और 2 माह की नोटिस अवधि के भीतर आगे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः, 10 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं।

निम्नलिखित गांवों के लिए तहसील का नाम, मालिया तहसील की जगह मोरबी तहसील पढ़ा जाए।

क्र.सं.	गांव	के स्थान पर		पढ़ा जाए	
		तहसील	जिला	तहसील	जिला
1.	जेटपार	मालिया	मोरबी	मोरबी	मोरबी
2.	पिलुडी	मालिया	मोरबी	मोरबी	मोरबी
3.	रापर	मालिया	मोरबी	मोरबी	मोरबी
4.	वाघपर	मालिया	मोरबी	मोरबी	मोरबी

10 सितंबर 2024 के मूल आदेश की अन्य सभी सामग्री, नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी, सिवाय निम्नलिखित अद्यतन अनुपालन आवश्यकताओं के:

- यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/36/2024-पावरग्रेड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**AMENDED ORDER**

New Delhi, the 9th September, 2026

S.O. 5020(E).— Whereas the Ministry of Power, Government of India, vide Gazette Notification No. **CG-DL-E-11092024-257066** (S.O. 3875(E)) dated 10th September 2024, granted authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 to M/s Halvad Transmission Limited, the applicant with its registered office at C-105, Anand Niketan, New Delhi – 110021, for the transmission scheme: "Transmission system for evacuation of additional 7 GW of RE power from Khavda RE Park under Phase III Part A". The following overhead transmission lines are covered under this scheme:

- i. KPS2 (GIS) – Halvad 765 kV D/C line
- ii. LILO of Lakadia – Ahmedabad 765 kV D/C line at Halvad

And whereas, M/s Halvad Transmission Limited published corrigendum to the earlier public notices for the above transmission scheme in local newspapers, Indian Express (in English) dated 22nd November 2025, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 22nd November 2025, Kutch Mitra (in Gujarati) dated 22nd November 2025 and Sandesh (in Gujarati) dated 22nd November 2025, and in Weekly Gazette of India dated 27th December 2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Halvad Transmission Limited has submitted an affidavit dated 31.03.2026 declaring that 60 nos. of representations were received within two months from the date of Publication of the Corrigendum in the official Gazette of Government of India and the same have been answered by M/s Halvad Transmission Limited and that no further representations were received within the 2 months' notice period.

Now, therefore, the following corrections are hereby made in the notification dated 10th Sep 2024.

The Tehsil name for the following villages, originally published under Maliya Tehsil, shall be read as Morbi Tehsil.

S.No.	Villages	Published in Gazette dated 10.09.2024		To be read as	
		Tehsil	District	Tehsil	District
1.	Jetpar	Maliya	Morbi	Morbi	Morbi
2.	Piludi	Maliya	Morbi	Morbi	Morbi
3.	Rapar	Maliya	Morbi	Morbi	Morbi
4.	Waghpar	Maliya	Morbi	Morbi	Morbi

All other contents, terms, and conditions of the original order dated 10th September 2024 shall remain unchanged, except for the following updated compliance requirements:

- i. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/36/2024-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)